कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक/विधि/2019/54 भोपाल, दिनांक 22-01-2019

प्रति

1. संयुक्त आयुक्त,
   सहकारिता समस्त संभाग म0प्र0
2. उप/सहायक आयुक्त,
   सहकारिता समस्त जिले म0प्र0 ।

विषयः–म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11.01.19 में प्रकाशित अधिसूचना ।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1962 के नियम 49 ग (1) के अंतर्गत सदस्यों की सूची में प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी के निक्षेपकर्ता सदस्य के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करने हेतु प्रारूप छ–1 में संशोधन किया गया है । संशोधित प्रारूप छ–1 की अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 को शासन द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कराई गई हैं जो शासकीय प्रेस की वेबसाइट www.govtpress.mp.nic.in अथवा सहकारिता विभाग की वेबसाईट www.cooperatives.mp.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं ।

संशोधित प्रारूप छ–1 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की सूची तैयार कराने हेतु समस्त पेक्स संस्थाओं जिनके निर्वाचन कराए जाना हैं उन्हें सूचित करें तथा उक्त प्रारूप छ–1 अनुसार सूची तैयार होने पर मुख्यालय को अवगत करावें ।

(अरविन्द सिंह सेंगर)
संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/विधि/2019/54 भोपाल, दिनांक 22-01-2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. सचिव, म.प्र.राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी सतपुड़ा भवन भोपाल
3. निज सहायक माननीय मंत्री जी सहकारिता म.प्र. शासन भोपाल ।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त ।
6. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी संघ की ओर सहकारी समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ ।

संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता,मध्यप्रदेश

desktop/vidhi section/letter

विधि शाखा

—टीप—

कमांक/विधि/2019/50 भोपाल, दिनांक 21.01.2019

विषयः—म.प्र.राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11.01.19 में प्रकाशित अधिसूचना पोर्टल में अपलोड करने बावत ।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1962 के नियम 49 ग (1) के अंतर्गत सदस्यों की सूची हेतु निर्धारित प्रारूप छ—1 में प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी के सदस्यों की सूची हेतु संशोधित प्रारूप को अधिसूचना दिनांक 11.01.2019 में शासन द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित कराए गए हैं। उक्त अधिसूचना को विभागीय पोर्टल पर सर्वसंबंधी के अवलोकनार्थ अपलोड कराने का कष्ट करें ।

उप आयुक्त (विधि)
21/1/19

सहायक आयुक्त (आई.टी.)

desktop/vidhi section/teep

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जनवरी 2019—पौष 21, शक 1940

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2019

क्र. एफ-5-2-2018-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य संरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप छ-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"प्ररुप छ-1

[नियम 49-ग (1) देखिए]

सहकारी सोसाइटी लि. . . . . पंजीयन क्रमांक . . . .

विकासखण्ड . . . . जिला . . . .

सदस्यों की सूची

क्रमांक	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	निवास (गांव का नाम)	अजा/अ.ज.जा./ सामान्य वर्ग	पुरूष/ महिला	उधारगृहिता, यदि कोई हों	-x- व्यतिक्रमी	उपविधियों के अनुसार पात्रता/ अपात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

टीप :—जिनके चुनाव प्रतिनिधियों के आधार पर आयोजित होते हैं, वहां सदस्यों की सूची का प्ररूप निम्नानुसार होगा:—

क्रमांक	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य सोसाइटी का नाम	सोसाइटी का पूर्ण पता	प्रतिनिधि का नाम	प्रतिनिधि का वर्ग (अनु. जाति/ अनु. जनजाति/ सामान्य)	पुरूष/ महिला	सदस्य सोसाइटी व्यतिक्रमी है या नहीं	सोसाइटी उधारगृहिता है या नहीं	व्यतिक्रमी है या नहीं	उपविधियों के अनुसार पात्रता/ अपात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

नोट—प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी के सदस्यों की सूची का प्ररूप निम्नानुसार होगा.

क्रमांक	सदस्यता पंजी का अनुक्रमांक	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	निवास (गांव का नाम)	अजा/ अ.ज.जा./ सामान्य वर्ग	पुरूष/ महिला	उधारगृहिता यदि कोई हों.	-x- व्यतिक्रमी	उपविधियों के अनुसार पात्रता/ अपात्रता	क्या सदस्य निक्षेपकर्ता है?	निक्षेपकर्ता होने की दशा में पात्रता/ अपात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

सदस्यों के वर्गवार ब्यौरें निम्नलिखित प्ररूप में अंकित किए जाएंगे.

सदस्यों की कुल संख्या			अनारक्षित/सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
पुरुष	महिला	योग	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत

प्रमाण-पत्र

(सोसाइटी के प्रबंधक/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि सदस्य सूची में दी गई जानकारी सोसाइटी के अभिलेख के अनुसार सही एवं प्रमाणित है. अधोहस्ताक्षरी सदस्य सूची पर आपत्तियों की सुनवाई के दौरान आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा.

सोसाइटी के प्रबंधक/अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी.".

No. F. 5-2-2018-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 95 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1962, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for Form G-1, the following Form shall be substituted, namely:—

" FORM G-1
[See Rule 49 C (1)]
.... Co-operative Society Ltd., Registration No. ....
Block .... District ....

LIST OF MEMBERS

NO.	Serial Number of the Membership Register	Name of the Member	Name of the Father/ Husband	Residence (Name of the Village)	Class (SC/ST/ General)	Male/ Female	Loanee, if any	-X- Defaulter	Eligibility non-eligibility as per byelaws
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Note : The format of the list of members where election are held through the delegates will be as follows:—

No.	Serial Number of the Membership Register	Name of the Member society	Full address of the society	Name of the delegate	Class of the delegate (SC/ST/ General)	Male/ Female	Member Society is defaulter or not	Society is borrower or not	Delegate is defaulter or not	Eligibility/ non-eligibility as per byelaws
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Note : The format of the list of member of Primary Agriculture Co-operative Credit Society will be as follows:—

No.	Serial Number of the Membership Register	Name of the Member	Name of the Father/ Husband	Residence (Name of the Village)	Class (SC/ST/ General)	Male/ Female	Loanee if any	—X— defaulter	Eligibility/ non-eligibility as per byelaws	Is Member a depositor	Eligibility/ Non-eligibility in case of a depositor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Class-wise details of members will be summarised in the following format.

Total Number of Members			Unreserved/General		Scheduled Cast		Scheduled Tribes	
Male	Female	Total	Numbers	Percent	Numbers	Percent	Numbers	Percent

Certificate

(To be issued by Manager/Chairman/Chief Executive Officer of the Society)

It is hereby certified that the information given in the member list is true and certified as per the record of the society. Undersigned will be responsible for providing necessary record during the hearing of abjections on member list:—

Manager/Chairman/Chief Executive Officer of the Society.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.